

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 07/2022 (निगरानी पंचायत)

GCMS No : 2022/32

अनवान

1. पंचायत समिति नयागांव जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति नयागांव, जिला-उदयपुर

– निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती मरियम पिता सोमाराम पारगी, जाति मीणा, निवासी-गांव छाणी, नयागांव, तहसील खेरवाड़ा, पंचायत समिति नयागांव, जिला-उदयपुर
2. ग्राम पंचायत-छाणी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत-छाणी, पंचायत समिति-नयागांव, जिला-उदयपुर
3. राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला-उदयपुर- विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. राजपैरोकार ।

निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996  
विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत छाणी के संकल्प संख्या 1 आदेश दिनांक 21.02.2021

\* निर्णय \*

दिनांक- 06-06-2024



निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 का मय धारा 5 एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत छाणी, पंचायत समिति नयागांव द्वारा दिनांक 21.02.2021 को राजस्व ग्राम छाणी की आराजी संख्या 670, 669 एवं 675 में विपक्षी संख्या 1 सुश्री मरियम देवी पिता सोमाराम पारगी जाति मीणा निवासी छाणी नयागांव को राशि 39,000/- अक्षरे उनचालिस हजार रूपया में आबादी भूमि का विक्रय नामा ग्राम पंचायत छाणी विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने संकल्प संख्या 1 दिनांक 21.02.2021 के अनुसरण में दिनांक 22.02.2021 को निष्पादित किया गया। ग्राम पंचायत छाणी के द्वारा निष्पादित उक्त पट्टा विलेख विधि के अग्रेषण में धारण योग्य नहीं है, जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित आबादी भूमि का विक्रय नामा में जिस भूमि का विक्रय नामा निष्पादित किया गया है उक्त भूमि का आराजी नम्बर उक्त विक्रय नामा में अंकित नहीं किया गया है, न ही विक्रित भूखण्ड का क्रमांक ही अंकित किया गया है विपक्षी संख्या

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
उदयपुर (राज.)




2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जिस आबादी भूमि का विक्रय नामा निष्पादित किया गया उक्त भूमि विक्रय नामा निष्पादित करने की दिनांक को राजस्व रेकार्ड में आबादी में दर्ज नहीं होने के कारण एवं विपक्षी संख्या 2 के खाते में नहीं होने के कारण पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के नियम 140 से 156 की पालना पूर्ण नहीं होने के कारण विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित आबादी भूमि का विक्रय नामा नियम विरुद्ध है। विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत छाणी द्वारा जारी किये गये पट्टे के सम्बन्ध में कार्यालय जिला परिषद उदयपुर द्वारा जांच कराई जाने पर एवं इस कार्यालय पंचायत समिति नयागांव से उक्त भूखण्ड बाबत रिकार्ड की जांच में विपक्षी संख्या 1 को विपक्षी संख्या 2 द्वारा राजस्व रेकार्ड में उपरोक्त भूमि ग्राम पंचायत के खाते में नहीं होने के बावजूद भी बिना किसी विधिक अधिकारिता के बिना भूखण्ड संख्या एवं बिना आराजी संख्या का आबादी भूमि का विक्रय नामा निष्पादित किया गया। इस संबन्ध में संधारित पत्रावलियों का सार्थक अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि इन पट्टों के संबंध में जो पत्रावलियां संधारित की गई है उन पत्रावलियों पर जो दर्ज क्रमांक अंकित है व सम्यक नहीं है न पंजीयन क्रमांक विधिवत रूप से अंकित है और न ही पट्टा जारी करने के संबंध में कोरम की बैठक तथा कोरम में उपस्थित सदस्यों एवं अन्य औपचारिक हस्ताक्षर ही है जो पट्टा जारी करने की कार्यवाही को प्रक्रियाविहिन होना सिद्ध करता है एवं उक्त पट्टे विधि सम्मत नहीं है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उक्त पट्टा 100 रुपये से अधिक राशि लेकर जारी किए गए है एवं स्वयं की भूमि होना बताते हुए जारी किए गए है जो न तो तथ्यों और न ही विधि से स्पष्ट होता है एवं उक्त पट्टे निरस्त किए जाने योग्य है। प्रकरण में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस दिनांक को उक्त भूमि का पट्टा जारी किया जाना निश्चित किया गया था उस दिनांक को वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेखों में विपक्षी के नाम दर्ज नहीं थी एवं ऐसे में इस पत्रावली के तहत पट्टा जारी किया जाना विधि सम्मत नहीं है एवं आलोच्य पट्टा खारीज किया जाना आवश्यक है। श्रीमती कालीदेवी ने सोमाराम मीणा के परिवार का सदस्य होना आवेदन में अंकित किया है तथा स्वयं कब्जाशुदा मकान होना बताया है तथा उसमें 4575 वर्गफीट के पट्टे प्राप्त किये है जबकि विधि अनुसार इस क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं कराया जा सकता है इस आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में श्रीमती कालीदेवी ने अंकित किया है कि उसके एवं उसके परिवार के पास कोई अन्य भूखण्ड नहीं है जबकि इसी परिवार के व्यक्ति श्री सोमाराम को इसी दिनांक को मिसल संख्या 12 के जरिये पट्टा जारी हुआ है। प्रियंका जो कि इसी परिवार की सदस्य है को भी इसी दिनांक को आराजी संख्या 309 में पट्टा जारी हुआ है। काली देवी को मिसल संख्या 3 के मार्फत पट्टा जारी हुआ है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि जो आदेशिका पट्टा जारी करने के संबंध में संचालित की



गयी है वहां प्रत्येक आदेशिका के अन्त में कोई हस्ताक्षर नहीं है वरन् भिन्न भिन्न दिनांकों की आदेशिकाओं को एक ही साथ एक ही कागज पर निकाल कर अन्त में हस्ताक्षर करके इसे एक सद्भाविक रूप से की गयी कार्यवाही का स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है जबकि अंकन स्वयं को संदेहास्पद प्रकट करता है तथा बन्द कमरे में एक ही दिन में षडयंत्रपूर्वक की गयी कार्यवाही को पुष्ट करता है तथा आलोच्य पट्टा खारिज किये जाने योग्य है। उक्त सभी भूखण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अवस्थित है जो कि पट्टा में वर्णित पडोसो से पुष्ट होता है जबकि राजमार्ग के पास किसी भी स्थिति में पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये भूमियां रिजर्व प्रकृति की है तथा इन्हे पट्टे हेतु उपयुक्त नहीं माना गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर आराजी संख्या 670, 669 एवं 675 राजस्व ग्राम छाणी में स्थित विपक्षी क्रमांक 2 द्वारा विपक्षी क्रमांक 1 के नाम आवंटित भूखण्ड (संकल्प संख्या 1/2021) के आबादी भूमि का विक्रय नामा को निरस्त फरमाया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक एवं उचित हो निगरानीकर्ता के पक्ष में प्रदान कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोजेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। प्रकरण में प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रकरण को स्वीकार कर उक्त पट्टे को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार द्वारा प्रकरण को मेरिट पर निस्तारित किया जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत छाणी का रेकार्ड तलब किया गया। रेकार्ड का गम्भीरता से अवलोकन करने के उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत की गयी है। ग्राम पंचायत छाणी, पंचायत समिति नयागांव द्वारा दिनांक 22.02.2021 को राजस्व ग्राम छाणी की आराजी संख्या 670 में विपक्षी संख्या 1 श्रीमती मरियम पिता सोमाराम पारगी निवासी छाणी नयागांव को राशि 39,000/- अक्षरे उन्नचालिस हजाररूपया में आबादी भूमि का विक्रयनामा ग्राम पंचायत छाणी विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने पट्टा संख्या 4065 दिनांक 22.02.2021 के अनुसरण में दिनांक 22.02.2021 को निष्पादित किया गया। ग्राम पंचायत छाणी द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जिस आराजी संख्या 670 को आबादी भूमि बताकर उसका विक्रयनामा निष्पादित किया गया उक्त भूमि विक्रय नामा निष्पादित करने की दिनांक को राजस्व रेकार्ड में ग्राम

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
उदयपुर (राज.)

पंचायत के स्वयं के नाम दर्ज नहीं थी एवं न ही राजस्व रेकार्ड में आबादी दर्ज थी। उक्त भूमि आराजी संख्या 670 राजस्थान सरकार के नाम दर्ज थी। इस प्रकार पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के नियम 140 से 156 की पालना पूर्ण नहीं होने के कारण विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित आबादी भूमि का विक्रय नामा नियम विरुद्ध है। जब ग्राम पंचायत छाणी के नाम राजस्व रेकार्ड में भूमि दर्ज नहीं थी, तो बिना अपने नाम दर्ज भूमि का पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई हक व अधिकार नहीं था, ग्राम पंचायत द्वारा बिना अपने नाम दर्ज भूमि में पट्टा दिया गया है जिस पट्टे का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, क्योंकि वक्त विक्रय नामा ग्राम पंचायत को वाद वर्णित भूमि में कोई हक अधिकार नहीं थे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर पट्टा संख्या 4065 जो कि विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

**—: आदेश :—**

परिणामस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत छाणी द्वारा जारी पट्टा संख्या 4065 मिसल संख्या 13 बुक संख्या 1 दिनांक 22.02.2021 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की एक-एक प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, विकास अधिकारी प.स. नयागांव एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत छाणी को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।



(दीपेन्द्र सिंह रावौर)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
उदयपुर (रा.ज.)  
उदयपुर